

नामांकन / पंजीयन अधिसूचना सत्र जुलाई – 2022



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Setup by Act No.15, 1990 of M.P.Legislative Assembly)

क्रमांक / नामांकन / 2022 / ...1395

दिनांक 18 जुलाई 2022

अधिसूचना

सत्र जुलाई 2022 में विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में छात्र नामांकन/पंजीयन

सत्र जुलाई 2022 में विश्वविद्यालय की संबद्ध अध्ययन संस्थाओं में एवं विश्वविद्यालय के भोपाल, रीवा, दतिया, खंडवा परिसर में संचालित कम्प्यूटर, प्रबंधन, संचार एवं मीडिया पाठ्यक्रमों में प्रथम सेमेस्टर में प्रथम बार प्रवेश लेने वाले छात्रों के नामांकन/पंजीयन फार्म एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड के माध्यम से ऑनलाइन भरे जावेंगे। प्रवेशार्थियों के नामांकन/पंजीयन के संबंध में निम्नलिखित नियम/दिशा- निर्देश निर्धारित एवं अधिसूचित किए जाते हैं।

फार्म भरने की प्रक्रिया

- विश्वविद्यालय की सम्बद्ध अध्ययन संस्थाओं में एवं भोपाल, रीवा, दतिया, खंडवा परिसर में प्रवेश लेने वाले सभी प्रवेशार्थियों के नामांकन/पंजीयन फार्म एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड के पोर्टल www.mponline.gov.in के माध्यम से भरे जा सकेंगे। नामांकन/पंजीयन शुल्क का भुगतान भी एम.पी. ऑनलाइन लि. के माध्यम से ही किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन फार्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
 - छात्रों के मैनुअल (हस्तलिखित) नामांकन फार्म, नामांकन शुल्क एवं वांछित दस्तावेज अपनी-अपनी अध्ययन संस्था/विभाग/परिसर में जमा करने की अंतिम तिथि 29/08/2022 है।
 - अध्ययन संस्था/विभाग/परिसर द्वारा ऑनलाइन नामांकन/पंजीयन फार्म एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड के पोर्टल www.mponline.gov.in के माध्यम से भरने की अंतिम तिथि 31/08/2022 सायं 5.30 बजे तक है।
- ऑनलाइन नामांकन/पंजीयन फार्म (भरे हुए एवं शुल्क भुगतान किए गए फार्म) का प्रिंटआउट (हार्डकॉपी) आवश्यक दस्तावेजों के साथ निम्नलिखित प्रक्रिया एवं निर्देशों के अनुसार, अंतिम तिथि 07/09/2022 तक विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य है।
- ऑनलाइन प्रक्रिया—
 - नामांकन/पंजीयन फार्म में वांछित सभी प्रविष्टियाँ सत्य एवं सही भरी जावें, कोई भी वर्ग रिक्त न छोड़ा जावे। प्रवेशार्थी का नवीनतम फोटो (साइज अधिकतम 200 KB) एवं उसके हस्ताक्षर ऑनलाइन फार्म में निर्धारित बॉक्स में स्कैन कर अपलोड किए जावें।
 - ऑनलाइन फॉर्म में प्रवेशार्थियों की प्रविष्टियाँ अर्हता परीक्षा (परिशिष्ट A/B) अनुसार ही भरना सुनिश्चित किया जावे। प्रविष्टियों में मतभेद की स्थिति में (जैसे नाम, माता-पिता का नाम एवं

जन्मतिथि) हाईस्कूल अथवा हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2 पद्धति) उत्तीर्ण अंकसूची को अंतिम माना जावेगा।

- 3.3 ऑनलाइन फार्म भरने के उपरांत एवं ऑनलाइन शुल्क जमा करने के पूर्व, सभी प्रविष्टियों की एवं अपलोड किए गए फोटो की जाँच कर, संबंधित छात्र से पुष्टि करवाकर, त्रुटियों का सुधार कर लिया जावे।
- 3.4 ऑनलाइन फार्म भरने के साथ-साथ प्रवेशार्थी के संबंधित पाठ्यक्रम में नामांकन/पंजीयन के लिए निर्धारित अर्हता/पात्रता (परिशिष्ट A/B अनुसार) प्रमाण पत्र अथवा अंकसूची की स्कैन प्रति को अनिवार्यतः अपलोड किया जाए।
- 3.5 प्रत्येक ऑनलाइन नामांकन/पंजीयन फॉर्म के साथ प्रति फार्म नामांकन शुल्क रु. 1250/- (रु. एक हजार दो सौ पचास मात्र) विश्वविद्यालय को देय है। नियमानुसार पोर्टल शुल्क एम.पी.ऑनलाइन लिमिटेड को देय होगा। नियमानुसार GST शुल्क भी देय होगा। पोर्टल शुल्क एवं GST अध्ययन संस्थाओं द्वारा ही वहन किया जावेगा, इसे विद्यार्थियों से संस्थाएँ कदापि न लें।
- 3.6 नामांकन/पंजीयन फार्म भरने की उपरोक्त वर्णित पूर्ण प्रक्रिया (3.1 से 3.5) के पश्चात् ही ऑनलाइन नामांकन/पंजीयन फार्म जमा (Submit) किया जावे।
- 3.7 ऑनलाइन नामांकन/पंजीयन फार्म जमा (Submit) हो जाने के पश्चात् प्रत्येक नामांकन/पंजीयन फार्म का रिपोर्ट सेक्शन से प्रिन्टआउट (हार्डकॉपी) निकाला जाए, उसे सत्यापित कराते हुए निर्धारित स्थान पर विद्यार्थी से हस्ताक्षरित कराया जाए।
- 3.8 छात्र द्वारा हस्ताक्षरित फार्म को संस्था प्रभारी/विभाग द्वारा जांचा जाए, इसके उपरांत संस्था प्रभारी/विभागाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित एवं सील लगाकर सत्यापित/प्रमाणित किया जाए।
- 3.9 संबंधित विद्यार्थी के अर्हता/पात्रता एवं सभी आवश्यक दस्तावेजों (माईग्रेसन, अंकसूची, आदि) को छात्र एवं संस्था/विभाग द्वारा सत्यापित/प्रमाणित कराकर संलग्न किया जाए। विद्यार्थियों के आवश्यक अर्हता/पात्रता संबंधी एवं अन्य दस्तावेज परिशिष्ट (Annexure-A/B) के अनुसार संलग्न किया जाना सुनिश्चित किया जाय। कृपया विश्वविद्यालय का **आदेश क्रमांक 2324/अका./2019 दिनांक 04/11/2019 देखें** तथा पालन सुनिश्चित करें।
- 3.10 पृथक-पृथक पाठ्यक्रम के फार्म पृथक-पृथक सेट के रूप में तैयार किए जाएँ। प्रत्येक (पाठ्यक्रम के) सेट में उस पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों की सूची संलग्न करें, सूची एवं फार्म आवेदन पत्र क्रमांक (Application No.) के अनुक्रम में हो। प्रत्येक नामांकन फार्म प्रिन्टआउट के साथ संबंधित छात्र की पात्रता अंकसूची की छायाप्रति एवं अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्र संलग्न करें। प्रत्येक पाठ्यक्रम (सेट) के लिए कवरींग लैटर एवं लिफाफा अलग-अलग हो और लिफाफे पर संबंधित पाठ्यक्रम का नाम स्पष्ट अंकित हो।

लिफाफे का नमूना इस प्रकार है:-

प्रति,

प्रभारी (..... पाठ्यक्रम)

C/O सहायक कुलसचिव (नामांकन)

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

बी-38, जोन -1, एम.पी. नगर,भोपाल -462011

यदि अध्ययन संस्था सभी पाठ्यक्रमों के फार्म एक साथ एक सेट में भेजती है तो फार्म पृथक् करने तथा पृथक्कीकरण के समय किसी फार्म के गुमने (Misplace होने) के लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

- 3.11 संबद्ध अध्ययन संस्थाएँ/विभाग/परिसर ऑनलाइन भरे गए समस्त नामांकन/पंजीयन फार्म के प्रिन्ट आउट समस्त प्रमाणित दस्तावेजों के साथ "सहायक कुलसचिव (नामांकन), माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, बी-38, जोन -1, एम.पी. नगर,भोपाल -462011" के नाम से भेजना सुनिश्चित करें। लिफाफे पर 'नामांकन फार्म व पाठ्यक्रम का नाम' अवश्य अंकित करें।
- 3.12 जिन प्रवेशार्थियों के नामांकन/पंजीयन फार्म ऑनलाइन नहीं भरे जावेंगे अथवा निर्धारित शुल्क ऑनलाइन भुगतान नहीं होगा, उनके नामांकन/पंजीयन फॉर्म स्वीकार नहीं किये जावेंगे। ऑनलाइन नामांकन/पंजीयन फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया में केवल भुगतान हो चुके (जिनका Application No., Transaction ID एवं Bar Code जनरेट हुआ है) नामांकन/पंजीयन फॉर्म ही जमा माने जाएंगे।
- 3.13 उपरोक्त बिंदु क्रमांक 3.1 से 3.10 के अनुसार तैयार नामांकन/पंजीयन फार्म को नियत तिथि **07/09/2022** तक स्वयं अथवा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा विश्वविद्यालय पहुँचाने का दायित्व अध्ययन संस्था का है। नियमानुसार फार्म प्राप्त न होने अथवा विलंब से प्राप्त होने की स्थिति में अध्ययन संस्था के साथ पत्र व्यवहार करने हेतु विश्वविद्यालय बाध्य नहीं है।
4. अध्ययन संस्थाओं का दायित्व है कि वे विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश न दें। जो संस्थाएँ "नो एडमिशन कैटेगरी" (No Admission Category) में रखी गई हैं उनसे नामांकन/पंजीयन फॉर्म स्वीकार नहीं किए जावेंगे।
5. विद्यार्थियों के ऑनलाइन नामांकन/पंजीयन फॉर्म भरने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि में छूट प्रदान नहीं होगी। अतः अध्ययन संस्थाएँ/विभाग **अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करें।** एम.पी.ऑनलाइन लिमिटेड के पोर्टल की लिंक पर यह प्रक्रिया शुरू होते ही ऑनलाइन फॉर्म भरना सुनिश्चित करें। ऑनलाइन प्रक्रिया में नामांकन/पंजीयन फॉर्म भरने अथवा जमा करने में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या, एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड में टॉप-अप संबंधी समस्या अथवा अन्य कारण से हुए विलंब के लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी। ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने में कोई तकनीकी समस्या हो तो कृपया एम.पी.ऑनलाइन लिमिटेड के कस्टमर केयर दूरभाष क्रमांक **0755-6720200** पर संपर्क करें।
6. अध्ययन संस्था/विभाग/परिसर का दायित्व है कि प्रथम बार में ही छात्रों के संपूर्ण वांछित दस्तावेज विश्वविद्यालय में नियत तिथि तक जमा करें। संस्थाओं/विभाग/परिसर के लॉग-इन पर नामांकन/पंजीयन आपत्ति वाले छात्रों की सूची (प्रारंभिक जांच के आधार पर) प्रदर्शित की जायेगी। आपत्ति सूची में दर्शाए गए वांछित दस्तावेजों की पूर्ति निर्धारित तिथि तक न करने की दशा में संबंधित छात्र का नामांकन/पंजीयन अस्वीकृत किया जायेगा।
7. नामांकन/पंजीयन के समय विद्यार्थी का अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अध्ययन संस्थाओं/विभाग/परिसर का दायित्व है कि प्रवेश देने से पूर्व विद्यार्थियों की निर्धारित अर्हता/पात्रता सुनिश्चित कर लें। पात्र विद्यार्थियों के समस्त आवश्यक दस्तावेजों की भली-भांति जांच करने के उपरांत ही प्रवेश दें तथा सत्य जानकारी ही नामांकन/पंजीयन फॉर्म में भरना सुनिश्चित करें।

8. प्रवेशार्थी का किसी पाठ्यक्रम में नामांकन/पंजीयन फॉर्म ऑनलाइन जमा होने/भुगतान होने के उपरांत किसी भी परिस्थिति में पाठ्यक्रम परिवर्तन मान्य नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय में नामांकन/पंजीयन आवेदन ऑनलाइन जमा करने के पश्चात नामांकन/पंजीयन शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा वापस/समायोजित नहीं होगा। नामांकन/पंजीयन आपत्ति प्रकरणों में दस्तावेजों की वांछित पूर्ति न होने की दशा में अस्वीकृत किए गए नामांकन/पंजीयन हेतु भी नामांकन/पंजीयन शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा वापस नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में समस्त शुल्क वापसी की जिम्मेदारी अध्ययन संस्था की होगी।
9. सभी पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन नामांकन/पंजीयन फॉर्म के साथ पात्रता अंकसूची ऑनलाइन अपलोड करना आवश्यक है। प्रत्येक ऑनलाइन नामांकन/पंजीयन फॉर्म के प्रिंटआउट के साथ संबंधित छात्र की पात्रता अंकसूची (CONSOLIDATED अथवा समस्त सेमेस्टर) की छायाप्रति एवं आवश्यक प्रमाण-पत्र संलग्न कर एकसाथ जमा करना आवश्यक है। इस संबंध में विश्वविद्यालय का परिपत्र क्रमांक/सं.अ.सं./1007 दिनांक 20/06/2022 देखें एवं पालन सुनिश्चित करें। अध्ययन संस्था/विभाग/परिसर द्वारा इंटरनेट परीक्षा परिणाम/अंकसूची निम्नानुसार सील/हस्ताक्षर समेत जमा करने पर ही मान्य की जावेगी :-

VERIFIED FROM OFFICIAL UNIVERSITY WEBSITE.
RESULT CONFIRMED AS CORRECT.

Seal /Sign of Director /HOD.

10. विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते समय रेग्यूलेशन क्रमांक 18, 2008 का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावे। विद्यार्थी की प्रवेश अर्हता पूर्ति के परीक्षण/पुष्टि का पूर्ण दायित्व अध्ययन संस्था प्रभारी/विभाग का है। कृपया विश्वविद्यालय का आदेश क्रमांक 2324/अका./2019 दिनांक 04/11/2019 देखें तथा पालन सुनिश्चित करें।
11. पुरानी पद्धति से 11वीं उत्तीर्ण छात्रों को 10+2 के समकक्ष नहीं माना जावेगा। 10+2 से आशय नई शिक्षा प्रणाली से हायर सेकेंडरी (10+2) उत्तीर्ण से है। पुरानी पद्धति से 11वीं उत्तीर्ण करने के बाद यदि छात्र ने कम से कम स्नातक उपाधि प्राप्त की है, तब ही न्यूनतम योग्यता मानकर ऐसे छात्र का नामांकन किया जा सकेगा।
12. मानव संसाधन मंत्रालय/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/AIU/UGC/NIOS द्वारा गठित अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/ संस्थान से उत्तीर्ण विद्यार्थियों का ही नामांकन/पंजीयन फार्म स्वीकृत किया जावेगा।
13. अध्ययन संस्था का दायित्व है कि वह बोर्ड /विश्वविद्यालय की मान्यता/प्रामाणिकता का सावधानी से परीक्षण करे एवं गैर मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/ संस्थान के विद्यार्थियों का नामांकन/पंजीयन फार्म जमा न करे। कुछ अमान्य बोर्ड/विश्वविद्यालय की जानकारी विश्वविद्यालय की सूचना क्रमांक/अका./2020/171 दिनांक 28.01.2020 द्वारा वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।
14. विद्यार्थी द्वारा उत्तीर्ण किसी अन्य परीक्षा/उपाधि की समकक्षता को विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित अर्हता परीक्षा के समकक्ष प्रमाणित करने का दायित्व एवं आवश्यक अभिप्रमाणित दस्तावेज, अधिसूचना आदि प्रस्तुत करने का दायित्व अध्ययन संस्था प्रभारी एवं संबंधित छात्र का होगा। विश्वविद्यालय द्वारा समकक्षता मान्य करने अथवा न करने तथा नामांकन स्वीकृत करने/न करने के संबंध में लिया गया निर्णय अंतिम, बाध्यकारी एवं मान्य होगा।
15. यदि किसी छात्र के अध्ययन में कोई अंतराल (GAP) है, तो संबंधित अवधि को स्पष्ट करने वाले शपथ-पत्र (Affidavit) की नोटरी द्वारा सत्यापित मूल प्रति, नामांकन/पंजीयन फॉर्म के प्रिंट आउट के साथ संलग्न करें।

16. कृपया Annexure-A/B देखें।

- स्नातक (Graduate Degree) एवं स्नातकोत्तर (Post-Graduate Degree) पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन फार्म के प्रिंटआउट के साथ विश्वविद्यालय/बोर्ड के माइग्रेशन (Migration) प्रमाण-पत्र की मूल प्रति संलग्न की जाए। पात्रता संबंधी दस्तावेज/अंकसूचियों (CONSOLIDATED अथवा समस्त सेमेस्टर) की सत्यापित छायाप्रति संलग्न की जावे।
 - डिप्लोमा (Diploma) पाठ्यक्रमों के लिये केवल पात्रता संबंधी दस्तावेज/अंकसूचियों (CONSOLIDATED अथवा समस्त सेमेस्टर) की सत्यापित छायाप्रति संलग्न की जावे।
 - डिप्लोमा पाठ्यक्रम अंशकालिक होने के कारण, पंजीयन फार्म के साथ माइग्रेशन प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक नहीं है।
17. किसी भी पाठ्यक्रम में नामांकन/पंजीयन फार्म के साथ टी.सी. (मूल अथवा छायाप्रति) जमा करना अनिवार्य नहीं है। अध्ययन संस्थाएँ छात्रों के स्थानांतरण प्रमाणपत्रों (टी.सी.) का संधारण अपने स्तर पर ही करें।
18. विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति लिखित में प्राप्त किये बिना अंतर्राष्ट्रीय/विदेशी छात्रों को प्रवेश न दिया जावे। अंतर्राष्ट्रीय/विदेशी छात्रों को प्रवेश देने से पूर्व विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mcu.ac.in पर उपलब्ध नियम Regulation No.19 देखें एवं इसका पालन सुनिश्चित करें।
19. जिन सम्बद्ध अध्ययन संस्थाओं से समस्त नामांकित /पंजीकृत विद्यार्थियों के नामांकन/पंजीयन फॉर्म बिंदु क्रमांक- 2 के अनुसार नामांकन शाखा में अंतिम तिथि 07/09/2022 तक प्राप्त नहीं होते हैं, उन संस्थाओं पर अनुशासनात्मक कार्यवाही संबद्ध अध्ययन संस्थाएँ विभाग द्वारा की जावेगी। अंतिम तिथि के उपरान्त प्राप्त नामांकन/पंजीयन फार्म की जांच तथा नामांकन/पंजीयन क्रमांक जनरेट करने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की नहीं है।
20. किसी भी विद्यार्थी के पात्रता दस्तावेजों में संदेह की स्थिति में नामांकन विभाग को यह अधिकार है कि वह किसी भी समय दस्तावेजों की पुष्टि के लिए सम्बद्ध अध्ययन संस्था से विद्यार्थी के मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। अध्ययन संस्थाएँ/विभाग/परिसर अपने कार्यालय में विद्यार्थियों के फार्म एवं समस्त आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति अनिवार्य रूप से संधारित करें।
21. नामांकन/पंजीयन फार्म में अपूर्ण, असत्य, त्रुटिपूर्ण जानकारी दिए जाने अथवा इस अधिसूचना में उल्लेखित नियमों का अनुपालन नहीं किए जाने की दशा में अध्ययन संस्था/विद्यार्थी के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही करने हेतु विश्वविद्यालय स्वतंत्र है, इस दशा के लिए संस्था/विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
22. छात्र का नामांकन/पंजीयन फार्म ऑनलाइन जमा होने के उपरान्त, यदि उसका प्रिंटआउट तथा नामांकन/पंजीयन संबंधी सभी आवश्यक दस्तावेज नियत तिथि तक प्राप्त नहीं होते हैं /अपूर्ण प्राप्त होते हैं या छात्र अपात्र पाया जाता है या नियमों की पूर्ति नहीं की जाती है, तो संबंधित छात्र को प्रथम सेमेस्टर (लेटरल एंट्री हेतु तृतीय सेमेस्टर) परीक्षा फार्म भरने की अनुमति नहीं दी जावेगी। नामांकन आपत्ति वाले छात्रों का नामांकन/पंजीयन निरस्त करने का/ प्रवेश पत्र रोकने का/किसी भी सेमेस्टर में परीक्षा परिणाम घोषणा रोकने (Witheld) का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।
23. निम्न प्रवेशार्थियों के नामांकन/पंजीयन क्रमांक जनरेट नहीं किए जाते हैं, उनके नामांकन/पंजीयन आवेदन फार्म स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे।
24. नामांकन/पंजीयन फार्म/रिकार्ड में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों के सुधार के संशोधित नियम अधिसूचना क्रमांक नामांकन/2020/ 41 दिनांक 07.01.2020 के द्वारा अधिसूचित किये गये हैं। नामांकन/पंजीयन फॉर्म ऑनलाइन जमा (Submit) होने के उपरान्त यदि छात्र या माता-पिता के नाम/ सरनेम/जन्मतिथि/हस्ताक्षर/फोटो की प्रविष्टि में कोई त्रुटि हो तो अध्ययन संस्थाएँ/विभाग त्रुटि सुधार अधिसूचना के अनुसार निर्धारित शुल्क/दस्तावेजों के साथ त्रुटि सुधार आवेदन कर सकती हैं।

बशर्ते चाहा गया त्रुटि सुधार इस अधिसूचना के बिंदु क्रमांक 3.2 एवं आदेश क्रमांक /परीक्षा -1/2016/4073 दिनांक 06/04/2016 (कि विश्वविद्यालय द्वारा जारी अंकसूचियों में विद्यार्थी के पिता/पति के स्थान पर भविष्य में केवल पिता के नाम की प्रविष्ट की जाएगी), अनुसार हो।

25. विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/सूचनाएँ/अधिसूचनाएँ विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mcu.ac.in पर उपलब्ध कराई जाती हैं। वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए (प्रकाशित) निर्देश/सूचना/अधिसूचनाओं को औपचारिक रूप से घोषित माना जाएगा। अध्ययन संस्थाओं को डाक द्वारा प्रति भेजने हेतु विश्वविद्यालय बाध्य नहीं है। सभी अध्ययन संस्थाओं से विश्वविद्यालय की वेबसाइट का नियमित अवलोकन करने की अपेक्षा की जाती है।
26. विश्वविद्यालय के PGDCA, DCA, अन्य डिप्लोमा पाठ्यक्रम अंशकालिक नियमित पाठ्यक्रम हैं एवं इनमें छात्र पंजीयन किया जाता है। स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि पूर्णकालिक नियमित पाठ्यक्रमों में छात्र नामांकन किया जाता है।
27. नामांकन संबंधी सहायता के लिए सहायक कुलसचिव (नामांकन) के दूरभाष क्रमांक 0755-2574519 अथवा ई-मेल mcuenroll@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।
28. नामांकन सत्र जुलाई 2022 में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की नामांकन/पंजीयन सीरीज़ निम्नानुसार होगी:-

• पीजीडीसीए	-	22S16
• डीसीए	-	22S17
• समस्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर कम्प्यूटर उपाधि पाठ्यक्रम	-	AY
• समस्त मीडिया पाठ्यक्रम	-	AY

सलग्न:- अर्हता एवं आवश्यक दस्तावेजों की सूची (परिशिष्ट- Annexure "A/B")

परिक्षा नियंत्रक

क्रमांक/नामांकन/2022/13216

दिनांक 18/07/2022

प्रतिलिपि:-

1. माननीय कुलपति एवं कुलसचिव के निज सहायक को सूचनार्थ।
2. निदेशक, ए.एस.आई., मा.च.रा.प.सं.वि.वि. को सूचनार्थ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, मा.च.रा.प.सं.वि.वि. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. वित्त अधिकारी, मा.च.रा.प.सं.वि.वि. को सूचनार्थ।
5. सहायक कुलसचिव, परीक्षा/ऑनलाइन मा.च.रा.प.सं.वि.वि. को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. सहायक कुलसचिव, गोपनीय/नामांकन मा.च.रा.प.सं.वि.वि. को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. सहायक कुलसचिव, अकादमिक मा.च.रा.प.सं.वि.वि. को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. दतिया परिसर, रीवा परिसर एवं खंडवा परिसर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. प्रमुख, वाणिज्य विकास, एम.पी.ऑनलाइन लि., भोपाल को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. प्रभारी, वेबसाइट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
11. समस्त सम्बद्ध अध्ययन संस्थाओं को सूचनार्थ एवं पालनार्थ (विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mcu.ac.in) पर ऑनलाइन प्रकाशित।

परिक्षा नियंत्रक

Assistant Registrar
(Enrollment)
National University

परिशिष्ट-"A"

विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर, प्रबंधन, संचार एवं मीडिया पाठ्यक्रमों (Non-NEP) हेतु निर्धारित पात्रता (Eligibility) एवं अधिसूचना के बिंदु क्र.-3.9 के अनुसार दस्तावेजों की सूची

स.क्र. S.No.	पाठ्यक्रम (Course) अवधि (Duration)	पाठ्यक्रम का कोड (Course Code)	वांछित पात्रता (Eligibility)	जमा करने वाले दस्तावेज (Documents to be submitted)	
				पात्रता अंकसूची की सत्यापित छाया प्रति (Attested Photo copy of Marksheet)	मूल दस्तावेज (Original Documents)
	1	2	3	4	5
1.	M.B.A (MBM) Master of Business Administration (Media Business Management) 2 Year	193	Graduation with Min. 50% marks (SC/ST/OBC 45%) (Any Discipline) from recognised university	As per Column No. 3 1. Marksheet	1. Migration 2. Gap Certificate, if applicable
2.	M.A (J) Master of Arts in Journalism 2 Year	105	Graduation (Any Discipline) from recognised university	As per Column No. 3 1. Marksheet	1. Migration 2. Gap Certificate, if applicable
3.	M.A.(BJ) Master of Arts in Broadcast Journalism 2 Year	117	Graduation (Any Discipline) from recognised university	As per Column No. 3 1. Marksheet	1. Migration 2. Gap Certificate, if applicable
4.	M.A.(APR) Master of Arts in Advertising and Public Relations 2 Year	116	Graduation (Any Discipline) from recognised university	As per Column No. 3 1. Marksheet	1. Migration 2. Gap Certificate, if applicable
5.	M.A.(MC) Master of Arts in Mass Communication 2 Year	118	Graduation (Any Discipline) from recognised university	As per Column No. 3 1. Marksheet	1. Migration 2. Gap Certificate, if applicable
6.	M.A.(AVC) Master of Arts in Audio Visual Communication 2 Year	128	Graduation (Any Discipline) from recognised university	As per Column No. 3 1. Marksheet	1. Migration 2. Gap Certificate, if applicable
7.	M.A.(MMC) Master of Arts in Marketing and Management Communication 2 Year	127	Graduation (Any Discipline) from recognised university	As per Column No. 3 1. Marksheet	1. Migration 2. Gap Certificate, if applicable
8.	M.Sc. (NM) Master of Science in New Media 2 Year	182	Graduation (Any Discipline) from recognised university	As per Column No. 3 1. Marksheet	1. Migration 2. Gap Certificate, if applicable
9.	M.Sc (EM) Master of Science in Electronic Media 2 Year	123	Graduation (Any Discipline) from recognised university	As per Column No. 3 1. Marksheet	1. Migration 2. Gap Certificate, if applicable
10.	M.Sc. (FP) Master of Science in Film Production	177	Graduation (Any Discipline) from recognised university	As per Column No. 3 1. Marksheet	1. Migration 2. Gap Certificate, if applicable
11.	M.C.A Master of Computer Applications 2 Year	102	BCA / Bachelor Degree in Computer Science or Engineering with Min 50% marks <u>OR</u> B.Sc./B.Com/B.A. with Mathematics at 10+2 Level	As per Column No.3 1. Marksheet of Graduation 2. Marksheet of 10+2	1. Migration 2. Gap Certificate, if applicable

			or at Graduation Level (Additional bridge Course of University needs to be undertaken). Obtained at least 50% marks (45% marks in case of candidates belonging to reserved category) in the qualifying examination.		
12.	M.Sc.(CS) Master of Science (Computer Science) 2 Year	129	Graduation (Any Discipline) from recognised university	As per Column No.3 1. Marksheet	1. Migration 2. Gap Certificate, if Applicable
13.	M.Sc.(MR) Master of Science in Media Research 2 Year	162	Graduation (Any Discipline) from recognised university	As per Column No. 3 1. Marksheet	1. Migration 2. Gap Certificate, if applicable
14.	MA(DJ) Master of Arts in Digital Journalism 2 Year	188	Graduation (Any Discipline) from recognised university	As per Column No. 3 1. Marksheet	1. Migration 2. Gap Certificate, if applicable
15.	MLIS Master of Library & Information Science 1 Year	174	BLIS from recognized University	As per Column No. 3 1. Marksheet	1. Migration 2. Gap Certificate, if applicable
16.	B.A (MC) Bachelor of Arts in Mass Communication 3 Year	110	10+2 or Equivalent/ Three year Polytechnic Diploma from recognised Board	As per Column No. 3 1. Marksheet	1. Migration 2. Gap Certificate, if Applicable
17.	B.Sc. (EM) Bachelor of Science in Electronic Media 3 Year	130	10+2 or Equivalent/ Three year Polytechnic Diploma from recognised Board	As per Column No. 3 1. Marksheet	1. Migration 2. Gap Certificate, if Applicable
18.	B.Sc. (GA) Bachelor of Science (Graphics and Animation) 3 Year	132	10+2 or Equivalent/ Three year Polytechnic Diploma from recognised Board	As per Column No. 3 1. Marksheet	1. Migration 2. Gap Certificate, if Applicable
19.	B.B.A(APR) Bachelor of Business Administration (Advertising and Public Relations) 3 Year	173	10+2 or Equivalent/ Three year Polytechnic Diploma from recognised Board	As per Column No. 3 1. Marksheet	1. Migration 2. Gap Certificate, if Applicable
20.	B.B.A(MC) Bachelor of Business Administration (Mass Communication) 3 Year	172	10+2 or Equivalent/ Three year Polytechnic Diploma from recognised Board	As per Column No. 3 1. Marksheet	1. Migration 2. Gap Certificate, if Applicable
21.	B.C.A Bachelor of Computer Applications 3 Year	14	10+ 2 or Equivalent/ Three year Polytechnic Diploma from recognised Board	As per Column No.3 1. Marksheet	1. Migration 2. Gap Certificate, if Applicable
22.	B.Com (Computer) Bachelor of Commerce in Computer 3 Year	190	10+ 2 or Equivalent/ Three year Polytechnic Diploma from recognised Board	As per Column No.3 1. Marksheet	1. Migration 2. Gap Certificate, if Applicable
23.	B.B.A(EC) Bachelor of Business Administration (E- Commerce) 3 Year	179	10+2 or Equivalent/ Three year Polytechnic Diploma from recognised Board	As per Column No. 3 1. Marksheet	1. Migration 2. Gap Certificate, if Applicable
24.	B.Tech. (PP) Bachelor of Technology in Printing and Packaging 4 Year	165	10+2 with Physics/Mathematics/ Chemistry/Computer Science/ Electronics/ Information Technology/	As per Column No. 3 1. Marksheets, as applicable.	1. Migration 2. Gap Certificate, if Applicable

			Biology/ Informatics Practices/ Biotechnology/ Technical Vocational subject/ Agriculture/ Engineering Graphics/ Business Studies/ Entrepreneurship. (Any three) Obtained at least 45% marks (40% marks in case of candidates belonging to reserved category) in the above three subjects taken together. <u>OR</u> Min. 3 year Diploma with at least 45% marks (40% marks in case of candidates belonging to reserved category) subject to vacancies in the First Year in case the vacancies of lateral entry are exhausted. (The University will offer suitable bridge courses such as Mathematics, Physics, Engineering Drawing, etc., for the student coming from diverse backgrounds so as to achieve desired learning outcomes of the programme)		
25.	B.Tech. (PP)-LE Bachelor of Technology in Printing and Packaging 3 Year	992	Minimum THREE years/ TWO years (Lateral Entry) Diploma examination with at least 45% marks (40% marks in case of candidates belonging to reserved category) in Any branch of Engineering and Technology. <u>OR</u> B.Sc. Degree from a recognized University as defined by UGC, with at least 45% marks (40% marks in case of candidates belonging to reserved category) and passed 10+2 examination with Mathematics as a subject.	As per Column No. 3 1. Marksheets, as applicable.	1. Migration 2. Gap Certificate, if Applicable
26.	B.LIS Bachelor of Library and Information Science 1 Year	197	Graduation (Any Discipline) from recognised university	As per Column No.3 1. Marksheet	1. Migration 2. Gap Certificate, if Applicable

27.	P.G.D.F.J Post Graduate Diploma in Film Journalism 1 Year	200	Graduation (Any Discipline) from recognised university	As per Column No.3 1. Marksheet	--
28.	P.G.D.R.J Post Graduate Diploma in Rural Journalism 1 Year	201	Graduation (Any Discipline) from recognised university	As per Column No.3 1. Marksheet	--
29.	P.G.D.C.A Post Graduate Diploma in Computer Applications 1 Year	16	Graduation (Any Discipline) from recognised university	As per Column No.3 1. Marksheet	--
30.	D.C.A Diploma in Computer Applications 1 Year	17	10+2 Or equivalent/ Three year Polytechnic Diploma from recognised Board	As per Column No.3 1. Marksheet	--


 Assistant Registrar
 (Enrollment)
 Makhanlal Chaturvedi National University
 of Journalism & Communication, Bhopal

विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर, प्रबंधन एवं मीडिया पाठ्यक्रमों (NEP) हेतु निर्धारित पात्रता (Eligibility) एवं अधिसूचना के बिंदु क्र.-3.9 के अनुसार दस्तावेजों की सूची

स.क्र. S.No.	पाठ्यक्रम (Course) अवधि (Duration)	पाठ्यक्रम का कोड (Course Code)	वांछित पात्रता (Eligibility)	जमा करने वाले दस्तावेज (Documents to be submitted)	
				पात्रता अंकसूची की सत्यापित छाया प्रति (Attested Photo copy of Marksheet)	मूल दस्तावेज (Original Documents)
	1	2	3	4	5
31.	B.A (MC) (Honors) Bachelor of Arts in Mass Communication 4 Year	202	10+2 or Equivalent/ Three year Polytechnic Diploma from recognised Board	As per Column No. 3 1. Marksheet	1. Migration 2. Gap Certificate, if Applicable
32.	B.Sc. (EM) (Honors) Bachelor of Science in Electronic Media 4 Year	203	10+2 or Equivalent/ Three year Polytechnic Diploma from recognised Board	As per Column No. 3 1. Marksheet	1. Migration 2. Gap Certificate, if Applicable
33.	B.Sc. (MM) (Honors) Bachelor of Science in Multimedia 4 Year	205	10+2 or Equivalent/ Three year Polytechnic Diploma from recognised Board	As per Column No. 3 1. Marksheet	1. Migration 2. Gap Certificate, if Applicable
34.	B.C.A (Honors) Bachelor of Computer Applications 4 Year	206	10+ 2 or Equivalent/ Three year Polytechnic Diploma from recognised Board	As per Column No. 3 1. Marksheet	1. Migration 2. Gap Certificate, if Applicable
35.	B.A(JCW) (Honors) Bachelor of Arts In Journalism And Creative Writing) 4 Year	204	10+2 or Equivalent/ Three year Polytechnic Diploma from recognised Board	As per Column No. 3 1. Marksheet	1. Migration 2. Gap Certificate, if Applicable
36.	B.A(APR) (Honors) Bachelor of Arts (Advertising and Public Relations) 4 Year	198	10+2 or Equivalent/ Three year Polytechnic Diploma from recognised Board	As per Column No. 3 1. Marksheet	1. Migration 2. Gap Certificate, if Applicable
37.	B.Sc. (FCS) (Honors) Bachelor of Science (Film and Communication Studies) 4 Year	209	10+2 or Equivalent/ Three year Polytechnic Diploma from recognised Board	As per Column No. 3 1. Marksheet	1. Migration 2. Gap Certificate, if Applicable
38.	B.Com (M) (Honors) Bachelor of Commerce (Management) 4 Year	208	10+2 or Equivalent/ Three year Polytechnic Diploma from recognised Board	As per Column No. 3 1. Marksheet	1. Migration 2. Gap Certificate, if Applicable

2
Assistant Registrar
(Enrollment)
Makhanlal Chaturvedi National University
of Journalism & Communication, Bhopal

नोट—

- ऐसे छात्र जिन्होंने इस विश्वविद्यालय से अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण की है एवं अपना माइग्रेशन प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है, उन्हें भी माइग्रेशन (Migration) प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। अध्ययन संस्था/विभाग अपने पत्र में ऐसे विद्यार्थियों के नाम का स्पष्ट उल्लेख करे जिन्होंने अपना माइग्रेशन प्रमाण पत्र इस विश्वविद्यालय से प्राप्त नहीं किया है ताकि विश्वविद्यालय स्तर पर पुष्टि की जाकर माइग्रेशन की अनिवार्यता में छूट दी जा सके।
- माइग्रेशन (Migration) प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी (रंगीन अथवा श्वेतश्याम) मान्य नहीं है।
- प्रत्येक विद्यार्थी का नामांकन/पंजीयन क्रमांक एक निश्चित अवधि के लिए वैध होगा। एक वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए अधिकतम तीन वर्ष, दो वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए अधिकतम चार वर्ष तीन वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए अधिकतम छः वर्ष तथा चार वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए अधिकतम आठ वर्ष तक नामांकन/पंजीयन क्रमांक वैध होगा।
- एक नामांकन सत्र में किसी पाठ्यक्रम में एक छात्र का एक ही ऑनलाइन नामांकन/पंजीयन फार्म स्वीकार्य होगा तथा एक ही नामांकन/पंजीयन नम्बर जनरेट (जारी) किया जाएगा।
- एक बार ऑनलाइन नामांकन/पंजीयन फार्म Submit होने के पश्चात्, किसी भी परिस्थिति में उस फार्म के सम्पूर्ण डाटा को परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।
- सत्र जनवरी 2019 में अमान्य बोर्ड/विश्वविद्यालय की जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सूचना क्रमांक /पंजीयन/2019/1335 दिनांक 20/05/2019 के द्वारा उपलब्ध कराई गई है।
- सत्र जुलाई 2019 में अमान्य बोर्ड/विश्वविद्यालय की जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सूचना क्रमांक/अका./2020/171 दिनांक 28/01/2020 के द्वारा उपलब्ध कराई गई है।
- नामांकन व्यवस्था की प्रक्रिया में सुधार हेतु आदेश क्रमांक 2324/अका./2019 दिनांक 04/11/2019 प्रसारित किया गया है। इसका पालन सुनिश्चित किया जाए।
- ऑनलाइन नामांकन/पंजीयन फार्म में छात्र का वास्तविक ई.मेल आई.डी. एवं पंजीकृत मोबाईल नंबर प्रविष्ट किया जाना अनिवार्य है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से निर्देश हैं कि समस्त छात्रों का ned.digilocker.gov.in/student पर पंजीयन किया जाना आवश्यक है। कृपया इस संबंध में विश्वविद्यालय की सूचना क्र. नामांकन/2021/1624 भोपाल दिनांक 08/09/2021 देखें।
- Consoliated (प्रतिशत वाली समेकित) अंकसूची उपलब्ध न होने की दशा में समस्त सेमेस्टर की उत्तीर्ण अंकसूची संलग्न करें। जिन पाठ्यक्रमों में Internship है उनके लिए यह निर्देश लागू नहीं होगा।
- NEP से अर्थ है नई शिक्षा नीति, Non-NEP से अर्थ है पूर्व शिक्षा नीति।
- NEP पाठ्यक्रमों के रेग्युलेशन निर्धारण उपरांत, नियमों में परिवर्तन संभावित हो सकता है, जो पृथक से घोषित किया जा सकेगा।

15/07
परीक्षा नियंत्रक